



संख्या:-147/2026/आई-1458152/001-489आ0-23-5002-002-33-2026

(कम्प्यूटर संख्या-2056281)

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर एवं वाराणसी के 32 विशेष मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-24255/CE-BLD/BUIL(SR)/MBD/2026-27 दिनांक-11.08.2026, सं०-24256/CE-BLD/BUIL(SR)/BAS/2026-27 दिनांक-11.08.2026, सं०-24253/CE-BLD/BUIL(SR)/GKP/2026-27 दिनांक-11.08.2026, सं०-24254/CE-BLD/BUIL(SR)/PRJ/2026-27 दिनांक-11.08.2026, सं०-24251/CE-BLD/BUIL(SR)/KNP/2026-27 दिनांक-11.08.2026 एवं सं०-24405/CE-BLD/BUIL(SR)/VNS/2026-27 दिनांक-19.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर एवं वाराणसी के 32 विशेष मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से **रु० 286.53 लाख (रु० दो करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)									
क्र० सं०	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत मूल धनराशि/ प्राविधिक स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में समर्पित धनराशि	समर्पण के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16/2026/आई-1235902/001-74आ0-23-5002-002-29-2025, दिनांक-12.02.2026	मुरादाबाद में प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० परिसर स्थित पूल्ड हाउस के टाइप-2 के 04 आवासों के पुनः विद्युतीकरण का कार्य।	05.47	0.09	05.38	01.90	0.00	03.48	03.48
2	तदैव	मुरादाबाद में प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० परिसर स्थित पूल्ड हाउस के टाइप-3 के 06 आवासों के पुनः विद्युतीकरण का कार्य।	14.50	0.10	14.40	05.00	0.00	09.40	09.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	109/2025/ आई- 923943/001 -224आ0- 23-5002- 002-23- 2025, दिनांक- 30.03.2025 एवं 164/2025/ आई- 1031480/00 1-433आ0- 23-5002- 002-39- 2025, दिनांक- 21.07.2025	जिला अस्पताल के निकट टाइप- चतुर्थ के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। विद्युत कार्य।	11.21	0.89	10.32	07.85	0.00	02.47	02.47
4	तदैव	महुली तिराहे के निकट टाइप चतुर्थ के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। विद्युत कार्य।	11.21	01.11	10.10	07.70	0.00	02.40	02.40
5	109/2025/ आई- 923943/001 -224आ0- 23-5002- 002-23- 2025, दिनांक- 30.03.2025	स्टेडियम ग्राउण्ड के निकट टाइप- चतुर्थ के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। विद्युत कार्य।	11.21	01.22	09.99	0.10	0.00	09.89	09.89
6	109/2025/ आई- 923943/001 -224आ0- 23-5002- 002-23- 2025, दिनांक- 30.03.2025 एवं 164/2025/ आई- 1031480/00 1-433आ0- 23-5002- 002-39- 2025, दिनांक- 21.07.2025	निरीक्षण भवन के निकट टाइप- चतुर्थ के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। ए ब्लाक विद्युत कार्य।	11.33	01.46	09.87	07.50	0.00	02.37	02.37
7	तदैव	निरीक्षण भवन के निकट टाइप- चतुर्थ के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। बी ब्लाक विद्युत कार्य।	11.25	01.00	10.25	07.79	0.00	02.46	02.46
8	109/2025/ आई-	एनएचओ कम्पाउण्ड के	12.07	01.82	10.25	07.11	0.00	03.14	03.14

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	923943/001-224आ0-23-5002-002-23-2025, दिनांक-30.03.2025	निकट टाइप-3 के 06 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। बी ब्लॉक विद्युत कार्य।							
9	तदैव	एन0एच0 कम्पाउण्ड के निकट टाइप-3 के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। ए ब्लॉक विद्युत कार्य।	08.09	01.12	06.97	05.29	0.00	01.68	01.68
10	109/2025/आई-923943/001-224आ0-23-5002-002-23-2025, दिनांक-30.03.2025 एवं 164/2025/आई-1031480/001-433आ0-23-5002-002-39-2025, दिनांक-21.07.2025	मुख्तारखाना के पास स्थित टाइप-3 के 04 आवासों के विशेष मरम्मत का कार्य। विद्युत कार्य।	08.08	01.20	06.88	05.28	0.00	01.60	01.60
11	तदैव	महाराजगंज में स्थित पी0डब्लू0डी0 कार्यालय परिसर में टाइप-2 के कुल 02 अदर आवासों के पुनः विद्युतीकरण का कार्य।	02.48	0.03	02.45	0.80	0.00	01.65	01.41
12	41/2026/आई-1271422/001-181आ0-23-5002-002-10-2026, दिनांक-19.03.2026	क्लाइव रोड कालोनी टाइप-3 के कुल 06 आवासों में फ्लोर टाइल्स लगाने एवं अन्य कार्य। विद्युत कार्य।	09.72	0.01	09.71	0.18	0.00	09.53	08.55
13	48/2026/आई-1277950/001-205आ0-23-5002-002-11-2026, दिनांक-24.03.2026	2 पार्क रोड कालोनी टाइप-4 के आवास सं0-4 के आवास सं0-ए-1, ए-2 एवं बी-1, बी-2 भवनों में मरम्मत रंगाई-पुताई एवं बाथरूम की विशेष मरम्मत का कार्य। (विद्युत कार्य)	17.32	0.04	17.28	0.30	0.00	16.98	13.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14	तदैव	2 पार्क रोड कालोनी टाइप-4 के आवास सं0-461 से 464 भवनों में मरम्मत रंगाई-पुताई एवं बाथरूम की विशेष मरम्मत का कार्य। (विद्युत कार्य)	17.32	0.02	17.30	0.30	0.00	17.00	13.00
15	70/2024/आई-697557/001-324आ0-23-5002-002-50-2024, दिनांक-22.07.2024	कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय कालोनी, डी0एम0 कम्पाउण्ड ब्लॉक बी टाइप-4 के आवास सं0-1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11 व 12 में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	35.31	04.94	30.37	16.37	0.00	14.00	10.96
16	134/2025/आई-1010235/001-407आ0-23-5002-002-30-2025, दिनांक-01.07.2025	बांदा स्थित राजकीय आवासीय कालोनी टाइप-ई के आवास सं0-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23 व 24) में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	22.61	0.85	21.76	17.75	0.00	04.01	01.83
17	तदैव	बांदा स्थित राजकीय आवासीय कालोनी टाइप-डी आवास सं0-1,2,5,14,19, 20,21,28,29,31, 34,39,40,41,42, 43,46 एवं 49 में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	23.51	0.70	22.81	19.72	8.36	11.45	09.17
18	तदैव	बांदा स्थित राजकीय आवासीय कालोनी टाइप-2 के आवास सं0-4,5,6,8,10,11,13, 15,16,17,18,23, 24,26 व 27 में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	19.37	0.58	18.79	17.69	3.27	04.37	02.49
19	तदैव	कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय कालोनी सर्किट हाउस के टाइप-4 आवास सं0-1,28, 29,30,31,32,33, 34 व 35 में विशेष मरम्मत	30.70	0.45	30.25	18.27	4.73	16.71	13.69

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		(पुनर्विद्युतीकरण) का कार्य।							
20	तदैव	कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय मैकराबर्टगंज कालोनी ब्लॉक बी0 टाइप-4 के आवास सं0-1,2,3,4,5,6,7 एवं 8 में विशेष मरम्मत (पुनर्विद्युतीकरण) का कार्य।	26.57	0.50	26.07	20.31	7.36	13.12	10.50
21	तदैव	जनपद कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय लक्ष्मणबाग कालोनी स्थित टाइप-4 के आवास सं0-8,9,10,11,14,16, 17,18 एवं 19 में विशेष मरम्मत (पुनर्विद्युतीकरण) का कार्य।	32.52	0.31	32.21	25.33	18.23	25.11	21.89
22	तदैव	जनपद कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय कालोनी सर्किट हाउस के टाइप-बी/1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 एवं 13 के आवासों में विशेष मरम्मत (पुनर्विद्युतीकरण) का कार्य।	39.96	0.59	39.37	25.27	5.50	19.60	15.66
23	तदैव	जनपद कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय सरसैयाघाट टाइप-4 के आवास सं0-1,2,3,4,5 एवं 6 में विशेष मरम्मत (पुनर्विद्युतीकरण) का कार्य।	21.09	0.09	21.00	18.12	12.13	15.01	12.91
24	तदैव	कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय मैकराबर्टगंज कालोनी टाइप-एफ के आवास सं0-1,2,3,4,5,6 एवं 7 में पुनः विद्युतीकरण का कार्य।	03.07	0.03	03.04	02.06	0.01	0.99	0.69
25	तदैव	कानपुर नगर स्थित राजकीय	22.42	03.59	18.83	17.07	9.13	10.89	03.59

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		आवासीय कालोनी सर्किट हाउस टाइप-1(ब्लॉक-3) के आवास सं0-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 एवं 24 में पुनः विद्युतीकरण का कार्य।							
26	16/2026/आ ई-1235902/001-74आ0-23-5002-002-29-2025, दिनांक-12.02.2026	जनपद फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) स्थित राजकीय आवास सं0-33 टाइप-4 मिजाजी लाल कम्पाउण्ड आफिसर्स कालोनी में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	03.80	0.00	03.80	1.30	1.19	03.69	03.31
27	तदैव	जनपद फर्रुखाबाद स्थित राजकीय आवासीय आफिसर्स कालोनी के टाइप-3/आवास सं0-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 एवं 12 तक आवासों में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	26.84	0.01	26.83	09.30	8.28	25.81	23.13
28	तदैव	जनपद फर्रुखाबाद स्थित राजकीय आवासीय आफिसर्स कालोनी के टाइप-4/आवास सं0-10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 तक आवासों में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	30.36	0.00	30.36	10.60	9.69	29.45	26.41
29	तदैव	फर्रुखाबाद स्थित राजकीय आवासीय आफिसर्स कालोनी के टाइप-4 आवास सं0-26,27,28,29,30,31 एवं 32 तक आवासों में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	27.10	0.00	27.10	9.40	8.61	26.31	23.60
30	तदैव	फर्रुखाबाद स्थित राजकीय आवासीय कुटरा कालोनी के	18.31	0.01	18.30	6.40	5.74	17.64	15.81

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		टाइप-2 आवास सं0-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 एवं 12 तक आवासों में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।							
31	48/2026/आई-1277950/00-1-205आ0-23-5002-002-11-2026, दिनांक-24.03.2026	वाराणसी के लो0नि0वि0 परिसर में स्थित मुख्य अभियंता आवास के विशेष मरम्मत का कार्य।	06.90	0.03	06.87	0.10	0.00	06.77	06.08
32	तदैव	वाराणसी के लो0नि0वि0 परिसर में स्थित अधीक्षण अभियंता आवास के विशेष मरम्मत का कार्य।	12.81	01.47	11.34	0.25	0.00	11.09	09.96
योग:-									286.53

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापो में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
- (5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,86,53,000(रू0 दो करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2216070530500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:-147/2026/आई-1458152/001-489आ0(1)-23-5-2026 , तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- मुख्य अभियन्ता (भवन)/(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, ।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।